प्राप्त हुई कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सेना मुख्यालय/केन्द्रीय सरकार को सांविधिक शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। वास्तविक शिकायतें दूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उनकी निष्पक्ष रूप से जांच करते हैं। शिकायतों का निपटान करने के लिए समय सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं।

दिल्ली छावनी स्थित "सेन्ट्रल व्हीकल डिपो" में अनियमितताएं

2038. **श्री सुरेन्द्र पचौरी** : क्या रक्षा मंत्री 30 नवम्बर 1992 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 82 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें संसद सदस्यों/विधायकों को वाहनों के आवंटन के मामले में सेन्ट्रल व्हीकल डिपो द्वारा अनियमितताएं बरते जाने/हेराफेरी किए जाने की शिकायतों सहित इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उक्त डिपो में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी संसद सदस्यों/विधायकों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते और उक्त डिपो के अधिकारियों/कर्मचारियों की सांठ-गांठ से कुछ पसंदीदा व्यक्तियों को अच्छे वाहन दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों के कोटे के अधीन आवंटित किए गए वाहनों की हालत अन्य किसी कोटे के अधीन आवंटित किए गए वाहनों की अपेक्षा खराब होती है; यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त डिपो द्वारा अच्छे वाहन बिचौलियों/एजेंटों के जरिए आवंटित किये जा रहे हैं; यदि हां, तो इस मामले में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) हाल ही में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें निपटान किए जा रहे वाहनों की गुणवत्ता/उनकी हालत तथा संबंधित डिपो के कर्मचारियों के व्यवहार का उल्लेख किया गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि डिपो के कर्मचारियों की मिलीभगत से कुछ पसंदीदा व्यक्तियों को अच्छे वाहन दिए जा रहे हैं। दिल्ली छावनी स्थित केन्द्रीय वाहन डिपो के कमान्डेन्ट को इस आशय के कड़े अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारी शिष्टाचार/नम्रता से व्यवहार करें। इस संबंध में मौजूदा अनुदेशों को भी दोहराया गया है कि संसद सदस्यों/विधायकों के लिए निपटान किए जाने वाले वाहनों में से, अच्छे वाहनों को अलग रख दिया जाए और इस हेराफेरी की सम्भावनाओं को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

Pulse Mills in Madhya Pradesh

2039. SHRI AJIT P. K. JOGI :
CHOWDHRY HARI SINGH :

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) whether pulse mills have been set up in Madhya Pradesh for processing Arhar and Gram;

(b) whether adequate provisions have been made under the National Pulses Development Scheme; and

(c) if not, the efforts made by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) Yes, Sir. Pulse Mills have been set up in Madhya Pradesh for Processing Arhar and Gram.

(b) and (c) The National Pulses Development Project is being implemented in 26 States including Madhya Pradesh and Union Territories of Delhi & Goa. Under this scheme, farmers will be entitled to get 50% of the cost as subsidy for the purchase of Dal Processors subject

to a maximum of Rs. 4,000/-. During 1992-93 a provision of Rs. 53.33 lakhs has been made under this scheme, out of which Government of India's share is Rs. 40 lacks. No proposals in this respect have yet been received and, therefore, no comments on the adequacy of this amount can be offered.

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2040. **श्री शिव चरण सिंह** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किये गये हैं;

(ख) किन-किन राज्यों में फल-प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किये गये हैं और इन उद्योगों की प्रकृति क्या है;

(ग) राजस्थान में ऐसे स्थापित और पंजीकृत उद्योगों की संख्या कितनी है;

(घ) इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना हेतु कितनी फर्मों को ऋण दिया गया है तथा प्रत्येक फर्म को कितना ऋण दिया गया है; और

(ङ) इन उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या से संबंधित सूचना केन्द्रीय सरकार के पास नहीं रखी जाती परन्तु उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-1-1992 तक 131682 चावल मिलें, 583 रोलर आटा मीलें और फल उत्पाद आदेश के अन्तर्गत पंजीकृत 3222 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट और 577 मृदु वातित पेय यूनिट हैं।

(ख) फल उत्पाद आदेश 1955 के अन्तर्गत पंजीकृत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है। (नीचे देखिए) यह उद्योग विभिन्न राज्यों में कच्चे माल, बाजार संस्थापित मशीनरी आदि की उपलब्धता को देखते हुए विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे अचार, मुरब्बा, जैम, फलरस एवं सान्द्रण, और निर्जलीकृत, प्रोजन प्रसंस्कृत फल आदि तैयार करते हैं।

(ग) यद्यपि इस संबंध में केन्द्रीय रूप से सूचना नहीं रखी जाती फिर भी राजस्थान में 1-1-92 की स्थिति के अनुसार 78 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट, फल-उत्पाद आदेश के अंतर्गत पंजीकृत 24 मृदु वातित जल तैयार करने वाली यूनिट और 353 चावल मिलें और 5 रोलर आटा मिलें हैं।

(घ) और (ङ) ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिये विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण दिये जाते हैं। इसके संबंध में और इन यूनिटों में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

विवरण

31-1-1992 को फल उत्पाद आदेश, 1995 के अधीन पंजीकृत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों और मृदु वातित पेय यूनिटों की संख्या :—

राज्य का नाम	फल एवं सब्जी उत्पाद यूनिट	मृदु वातित पेय यूनिट
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	201	—
2. असम	19	—
3. बिहार	43	10